न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 11 / 2022

थानाधिकारी पुलिस थाना नगर, जिला भरतपुर

.....प्रार्थी0

बनाम

1–मुश्ताक पुत्र श्री इलियास उम्र 26 साल जाति मेव निवासी नीमली थाना तिजारा जिला अलवर वाहन स्वामी महिन्द्रा बोलेरो पिकअप गाड़ी रजिस्ट्रेशन टेम्प्रेरी न. टी 0822 एच आर 1416 एएक्स,

2–फकरुद्दीन पुत्र श्री सलीम निवासी जरौली तहसील पुनहाना जिला नुहु मेवात हरियाणा वाहन स्वामी महिंन्द्रा बोलेरा पिकअप गाड़ी रजिस्ट्रशन न. एचआर 74बी 8032

3–इसराऊ पुत्र श्री इस्लाम जाति मेव निवासी वासदल्ला जामा मजिस्द के पास थाना पुनहाना जिला नुहू हरियाणा वाहन स्वामी महिन्द्रा बोलेरो पिकअप गाड़ी रजिस्ट्रेशन नं. एचआर 74बी8448

4–इकराम पुत्र सज्जी जाति मेव उम्र 28 साल निवासी उटावड मोड थाना वहीन पलवल हरियाणा

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) बाबत एफ.आई.आर न. 433 / 2022 धारा 5,6,8 में जप्त वाहनों के बाबत।

उपस्थित :–

1–ए0पी0पी0 पैरोकार सरकार प्रार्थी,

2–श्री मुकीमखान, अभिभाषक अप्रार्थी 1लगा.4

निर्णय

दिनांक 30.11.2022

प्रार्थी थानाधिकारी, पुलिस थाना नगर जिला भरतपुर ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) पेश किया गया , जो संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13.8.2022 को दौराने पुलिस कन्ट्रोल रुम से सूचना

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

पर कि कस्वा नगर में कुछ गौरक्षकों ने गौतस्करों की पिक अप वाहनों को रोक रखा है, इस पर रवाना होकर पटेल हॉस्पीटल नगर के सामने पहुंचा, जहॉ गौरक्षक विष्णु पुत्र मुरारी लाल जाति गुर्जर उम्र 23 साल निवासी सिरथली थाना नगर अपने 5–6 साथयों के साथ 04 पिकअप गाड़ी जिनमें गौवंश भरा हुआ था, रोके खडे हुऐ थे, मुझ ए.एस.आई. के द्वारा पिकअप न0 आरजे 40 जीऐ 4773 को चेक किया तो उसमें 4 गौवंश मिले, दूसरी पिकअप नम्बर एच.आर. 74बी 8448 को चैक किया तो उसमें कुल पॉच गौवंश भरे थे, तीसरी पिक नम्बर एच.आर. 74 बी 8032 को चैक किया तो उसमें कुल 5 गौवंश मिले, चौथी पिकअप नम्बर टू 822 एच.आर. 1416 एएच को चैक किया तो उसमें कुल 5 गौवंश मिले, जिन्हें ले जाने बाबत पिकअप में बैठे सवारों से लाइसेन्स व परिमिशन मांगा तो कुछ भी अपने पास नहीं होना बताया व राजस्थान से हरियाणा तस्करी व गौकसी को ले जाना बताया। उपरोक्त गौतस्कारों के खिलाफ जुर्म धारा 5 व 8 आरबीए एक्ट 1995 का प्रमाणित पाये जाने पर मौके पर ही गौवंश का व चारों पिकअप वाहनों को जरिये फर्द जप्ती जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया व मुलजिमान को जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफतारी कर हिरासत पुलिस लिया गया। गौवंश को जयश्री गौशाला में छुडवाया गया। प्रार्थना पत्र धारा 6(ए)स्वीकार किया जाकर वाहनों को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। उक्त चारों अप्रार्थी0 वाहन मालिक की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत वाहन सुपुर्दगी हेतु पेश किये गये हैं। अप्रार्थी के अभिभाषक उपस्थित आये उन्हें प्रार्थना पत्र प्रकरण धारा 6ए गौवंश अधिनियम की नकल दी गई । अभिभाषक अप्रार्थी ने कोई जबाब या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सुपुर्दगी पर बहस सुने जाने का निवेदन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से ए.पी.पी. ने अपनी बहस में हमारा ध्यान थानाधिकारी द्वारा प्रस्तुत पत्रादि की ओर आकर्षित करते हुये बताया कि पुलिस थाना ने जिला भरतपुर ने कन्ट्रोल रुम से मिली सूचना पर दिनांक 13.8.2022 को मौके पर पहुंच कर जांच की गई मौके पर गौरक्षक विष्णु पुत्र मुरारी लाल अपने 5–6 साथयों के साथ 04 पिकअप गाड़ी जिनमें गौवंश भरा हुआ था, रोके खडे हुऐ थे, ए.एस.आई. के द्वारा मौके पर मौजूद वाहन पिकअप न0 आरजे 40 जीऐ 4773 को चेक किया तो उसमें 4 गौवंश मिले, दूसरी पिकअप नम्बर एच.आर. 74बी 8448 को चैक किया तो उसमें कुल पॉच गौवंश भरे थे, तीसरी पिक नम्बर एच.आर. 74 बी 8032 को चैक किया तो उसमें कुल 5 गौवंश मिले, चौथी पिकअप नम्बर टू 822 एच.आर.

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

1416 एएच को चैक किया तो उसमें कुल 5 गौवंश मिले। पिकअप में बैठे सवारों ने उक्त गौंवश को राजस्थान से हरियाणा तस्करी व गौकसी को ले जाना बताया। वाहन में मौजूद लोगों के पास राजस्थान राज्य से हरियाणा राज्य में गौवंश को वाहन से परिवहन करने का को अनुज्ञापत्र या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति नहीं थी। अप्रार्थीगण वाहनों मालिकों की ओर से भी गौवंश को राजस्थान राज्य से अन्य राज्य हरियाणा में गौवंश को परिवहन करने की सक्षम अधिकारी अनुमति या स्वीकृति श्रीमानजी के समक्ष पेश नहीं की गई है। चारों वाहन गौवंश को राजस्थान सीमा से हरियाणा में तस्करी कर परिवहन कर लेजाने में लिप्त पाये गये हैं, गौंवश को गौशाला में दाखिल करा दिया गया है। ए.पी.पी. का यह भी तर्क है गौवंश को तस्करी कर गौवध के लिये हरियाणा राज्य में परिवहन करने पर राजस्थान सीमा पर अक्सर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है, उपरोक्त गौतस्कारों के चारों वाहन के खिलाफ जुर्म धारा 5 व 8 आरबीए एक्ट 1995 का प्रमाणित होता है। अप्रार्थीगण का यह कृत्य अपराध धारा 5/8 एवं धारा 6ए के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः गौंवश परिवहन में लिप्त जप्त चारों वाहन बोलरो पिकअप वाहन को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि प्रार्थी मुश्ताक पुत्र इलियास आयु 26 साल जाति मेव निवासी नीमली थाना तिजारा जिला अलवर एफआईआर नम्बर 433/2022 में जप्त वाहन बोलरो पिकअप वाहन संख्या आरजे 40 जी.ए. 4773 का मालिक है, फकरुद्दीन पुत्र सलीम निवासी जरौली, तहसील पुन्हाना जिला नूँह मेवात हरियाणा, एफआईआर नम्बर 433/2022 में जप्त दुसरे वाहन बोलरो पिकअप वाहन संख्या एच.आर.74 बी 8032 का मालिक है, इसराक पुत्र श्री इस्लाम जाति मेव निवासी बासदल्ला, जामा मस्जिद क पास, थाना पुन्हाना जिला नूँह मेवात हरियाणा एफआईआर नम्बर 433/2022 में जप्त तीसरे वाहन बोलरो पिकअप वाहन संख्या एच.आर.74 बी 8448 का मालिक है, तथा प्रार्थी इकराम पुत्र सज्जी आयु 28 साल जाति मेव निवासी जराली थाना उटावड मोड वहीन जिला पलवल हरियाणा एफआईआर नम्बर 433/2022 में जप्त चौथे वाहन बोलरो पिकअप वाहन संख्या टी0 822 एच.आर. 1416 AX का मालिक हैं। उक्त चारों वाहनों को पुलिस थाना नगर जिला भरतपुर ने गौवंश तस्करी में जप्त किया है, योग्य अभिभाषक अप्रार्थी0 का तर्क है कि वाहन थाना परिसर में खुले में खडें हुऐ हैं जिससे वाहन के खराब होने की पूर्ण संभावना है। जप्त वाहनों की पुलिस थाना को अब कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी को अपने व्यवसायिक कार्यों हेतु उक्त वाहन की अत्यन्त आवश्यकता है। जप्त वाहनों को सुपुर्दगी में दिये जाने की प्रार्थना की गई।

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) का अध्ययन किया गया।

उक्त अधिनियम की धारा 6 परिवाहक का दुष्प्रेरक होना में अंकित है :–

"".....जब कभी इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के किये जाने उद्धेश्य को अग्रसर करने में परिवहन के किसी भी साधन से गोवंशीय पशुओं का परिवहन किया जाये तो परिवाहक उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए अधिनियम की धारा 8 के अधीन उपंबधित है..... ।''

The Rajasthan Bovine Animal (Prohivition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) ACt 1995 **की धारा 11** :–

"Burden of proof :- Wher any person is prosecuted for an offence under the provisions of this Act, the burden of proof that he had not committed the offence under the provisions of this Act shall be on him.

पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि का अवलोकन किया गया। प्रकरण में निम्न बिन्दू तैय किये जाने हैं।

1–क्या जप्त वाहन से गौवंश को राजस्थान सीमा क्षेत्र से बाहर परिवहन किये जाने लिप्त था ?

2–क्या अप्रार्थी0 वाहन मालिक के पास गौवंश को राजस्थान सीमा क्षेत्र से बाहर परिवहन करने का सक्षम अधिकारी का परमिट था?

1 व 2 – राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1995 की धारा 5 में गोवंशीय पशु को राजस्थान राज्य की सीमा के किसी भी स्थान से अन्य राज्य में किसी भी स्थान को निर्यात परिवहन प्रतिबन्धित किया हुआ है। थाना अधिकारी नगर जिला भरतपुर (राजस्थान) ने दिनांक 13.8.2022 को गौवंश को गौतस्करी कर ले जाने की सूचना पर उक्त चारों वाहनों (बोलरो पिकअप) को सूचना मिलने पर मौके पर जाकर कर चैक किये जाने पर उक्त चारों वाहनों को मोके पर गौरक्षक दल के व्यक्तियों ने रोक रखा था। मौके पर मिली वाहन पिकअप न0 आरजे 40 जीऐ 4773 में 4 गौवंश, दूसरी पिकअप नम्बर एच.आर. 74वी 8448 में 05 गौवंश, तीसरी पिक नम्बर एच.आर. 74 वी 8032 में 5 गौवंश, चौथी पिकअप नम्बर टू 822 एच.आर. 1416 एएच में 5 गौवंश मिले। वाहन में मौजूद व्यक्तियों से पूछताछ में गौवंश को राजस्थान से हरियाणा गौकसी के लिये बताया गया है, उक्त चारों वाहनों को प्रतिवन्धित गौवंश को राजस्थान सीमा से हरियाणा राज्य में परिवहन कर ले जाये

.....5

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

जाने कोई सक्षम अधिकारी की स्वीकृति परमिशन नही थी। पुलिस थाना नगर द्वारा गौवंशीय पशु को राजस्थान की सीमा से हरियाणा राज्य में परिवहन करते हुये जप्त किया गया है। अप्रार्थी. की ओर से हमारे समक्ष भी ऐसा कोई दस्तावेज या गौवंश को राजस्थान सीमा से बाहर गौवंश को परिवहन कर ले जाने की सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कोई स्वीकृति पेश नहीं की गई है और नाहीं अप्रार्थीगण की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी हमारे समक्ष पेश नहीं किया जिससे यह माना जासके कि पुलिस थाना द्वारा जप्त उक्त वाहन गौवशीय प्रतिबन्धित पशु को राजस्थान सीमा से बाहर परिवहन करने में लिप्त नहीं हों। जबकि प्रार्थी एस.एच.ओ नगर द्वारा प्रकरण के साथ प्रस्तुत जप्ती वाहन, बयान गवाहन मौका, फर्द जप्ती गौवंश आदि के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि उक्त जप्त वाहन राजस्थान सीमा से अन्य राज्य हरियाणा की सीमा में गौवंश परिवहन करने में लिप्त थे। अप्रार्थीगण वाहन का यह कृत्य राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 5,6 व 8 का उलंघन है तथा दण्डनीय अपराध है।

उक्त अधिनियम की धारा राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6ए का अवलोकन किया गया :–

3– Insrtion of new section 6-A, Rajasthan Act No. 23 of 1995- After the exisstiong section 6 and before the existiog section 7 of the pricipal Act the following new section shall be inserted,namely :

6-A Confiscation of the means of conveyance-(1) Whenever an offence punishable under this Act is committed, any means of conveyance used in the commission of such offence shall be liable to confiscation.....Provided also that before ordering confisction under this sub-section(1), may be given an option to pay, in lieu of confiscation, a fine not exceeding the market price of such means of conveyance.

अतः उक्त अधिनियम की धारा 6(ए) के तहत जप्त चारों वाहन कमशः 1–बोलरो पिक संख्या आर.जे.40जीऐ 4773, 2–बोलरो पिक संख्या एच.आर.74बी 8032, 3– बोलरो पिक संख्या न.दू.822 एचआर 1418 एएक्स, एवं 4– बोलरो पिक संख्या एच.आर.74बी 88448 वाहनों को राजसात (confiscate) किया जाना उचित पाते हैं।

.....6

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 धारा 6(ए) स्वीकार किया जाता है। अधिनियम की धारा 6(ए)(1) में दिये गये प्रावधान को मध्य नजर रखते हुये जप्त चारों वाहन क्रमशः 1–बोलरो पिक संख्या आर.जे.40जीऐ 4773, 2–बोलरो पिक संख्या एच.आर.74बी 8032, 3– बोलरो पिक संख्या न.टू.822 एचआर 1418 एएक्स, एवं 4– बोलरो पिक संख्या एच.आर.74बी 88448 को राजसात (confiscate) किये जाने से पूर्व प्रत्येक वाहन मालिक प्रार्थीगण को विकल्प दिया जाता है कि वे 30 दिवस के अन्दर प्रत्येक वाहनों पर जुर्माना (Fine) राशि 300000 / – 300000 / – (तीन लाख रुपये, बीमा के आधार पर) राशि प्रत्येक वाहन के हिसाब से राजकोष में जमा करादें तो वाहन को सम्बन्धित मालिक को रिलीज किया जावे। गुजरने म्याद उक्त जप्त वाहन स्वतः ही राजसात (confiscate) हो जायेगा। निर्णय की प्रति भारसाधक पदाधिकारी, पुलिस थाना नगर जिला भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर